नहर में डूब कर दो भाइयों समेत चार लोगों की मौत

बहराइच, 12 जून (जनसत्ता)।

भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए नहर में नहाने उतरे कोतवाली नानपारा निवासी दो सगे भाइयों की डूबकर मौत हो गई वहीं रायबरेली में अंतिम संस्कार में आए दो युवक डूब गए।

उत्तर प्रदेश के बहराइच और रायबरेली जिले में डूबने की दो घटनाओं में दो भाइयों समेत चार लोगों की मौत हो गई। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए नहर में नहाने उतरे कोतवाली नानपारा निवासी दो सगे भाइयों की डूबकर मौत हो गई वहीं रायबरेली में अंतिम संस्कार में आए दो युवक डूब गए। कोतवाली नानपारा थाने के प्रभारी निरीक्षक हेमंत कुमार गौड़ ने सोमवार को बताया कि यह घटना रविवार की है।

उन्होंने बताया कि मोहल्ला चिकवा टोला निवासी सैयद शुजा अहमद (24), उसका छोटा भाई सैयद अली (17) और चचेरा भाई नावेद रविवार को नहर के किनारे गए थे। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए शुजा और सैयद बेलवा नहर में नहाने उतर गए जबकि नावेद बाहर खड़ा रहा। गौड़ के अनुसार, नहाते समय शुजा और सैयद पानी में डूब गए। नावेद के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने और सूचना पाकर वहां आई पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों के शव बाहर निकाले। प्रभारी निरीक्षक गौड़ ने बताया कि मृतक युवकों के पिता और परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम नहीं करने को कहा जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शवों को परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस ने बताया कि रायबरेली में रविवार को सरेनी थाना क्षेत्र में दो व्यक्ति गंगा नदी में डूब गए। उन्होंने कहा कि ये लोग एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे और अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद उन्होंने स्नान किया और इस दौरान वह डूब गए। मृतकों की शिनाख्त अंकेश (23) और रमाकांत (24) के रूप में हुई है । पुलिस ने बताया कि घटना के लगभग एक घंटे बाद अंकेश का शव बरामद किया गया, जबकि रमाकांत का शव सोमवार सुबह बरामद किया गया। सरेनी थाने के प्रभारी हरिकेश सिंह ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ।

युवक से चेन छीनकर भागे बाइक सवार लुटेरे

उन्नाव, 12 जून (जनसत्ता)।

सुबह टहलने निकले युवक की बाइक सवार लुटेरे चेन छीनकर भाग निकले। इससे पहले लुटेरों ने अपने आपको पुलिसकर्मी बताकर पीड़ित को पहले भारी भरकम चेन न पहनकर घूमने की हिदायत दी और फिर उनके दो अन्य सहयोगी चेन छीनकर चंपत हो गए। पीड़ित ने थाना गंगा घाट पुलिस को इस आशय की तहरीर दी है।

HDFC BANK
We understand your world

पंजीकृत कार्यालयः एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट), मुम्बई-400013 तथा जिसका एक कार्यालय हैः रिटेल पोर्टफोलिओ प्रबंध, एचडीएफसी बैंक लि., 1ला तल, I-थिंक टेक्नो कैम्पस, कंजूरमार्ग (ईस्ट), मुम्बई-400042

एचडीएफसी बैंक लि. के पास गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री के लिये बिक्री की जानकारी तथा सार्वजनिक सूचना

एचडीएफसी बैंक लि. ("बैंक") के नीचे वर्णित ऋणधारकों को एतद्द्वारा प्रतिभूतियों के लिये ऋण/ओवरड्राफ्ट के रूप में साख सुविधा प्राप्त करने के लिये बैंक के पास गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री के संदर्भ में सूचना दी जा रही है।

ऋण की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार बकाया देयताओं का पुनर्भुगतान करने में ऋणधारकों द्वारा लगातार की गई चूक के कारण नीचे वर्णित ऋण खाताऐं बकाया स्थिति में हैं। बैंक ने नीचे वर्णित तिथि को अंतिम बिक्री सूचना सहित इन ऋणधारकों को कई सूचनाऐं जारी की जिसके द्वारा बैंक ने गिरवी को निरस्त कर दिया तथा नीचे वर्णित खाताओं में समस्त बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने के लिये ऋणधारक को 7 दिनों का समय दिया जिसमें विफल रहने पर बैंक इस संदर्भ में आगे कोई भी सूचना दिये बिना गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री करने के लिये स्वतंत्र था।

ऋणधारकों ने बकाये के भुगतान की अनदेखी की तथा उसमें विफल रहे, अतएव गिरवी-धारक के रूप में ऋण अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बैंक ने बैंक को ऋणधारकों द्वारा देय बकाये की वसूली करने के लिये 20 जून, 2023 को या उसके बाद इन प्रतिभूतियों की बिक्री/निपटारा करने का फैसला किया है।

ऋणधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी समय मार्जिन की आवश्यकता में आगे न्यूनता का निर्माण करने के लिये स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव के कारण गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की मूल्य में आगे गिरावट होती है तो बैंक इस संदर्भ में आगे कोई भी सूचना दिये बिना एक (1) कलैण्डर दिवस के भीतर अपनी स्वेच्छा से गिरवी प्रतिभूति की बिक्री कर देगा। गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री की रकम के समायोजन के उपरांत यदि कोई बकाया राशि शेष रहती है तो उसका बैंक को पुनर्भुगतान करने के लिये ऋणधारक(कों) का दायित्व कायम रहेगा।

क्रम सं.	ऋण खाता संख्या	ऋणधारक का नाम	8 जून, 2023 को बकाया देयता	बिक्री सूचना की तिथि
1.	XXXX8537	जीतेन्द्र अवाना	13,138.00	31 मई, 23
2.	XXXX1072	नीलम खुल्लर	53,087.44	31 मई, 23
3.	XXXX2921	अनुप कुमार सिंह	99,119.93	31 मई, 23
4.	XXXX0130	राज मिश्रा	1,25,921.46	31 मई, 23
5.	XXXX2191	ताइबा मसूद	9,06,125.15	31 मई, 23
6.	XXXX2691	एलिस वा	8,03,480.14	31 मई, 23
7.	XXXX7544	अरविन्द कुमार	47,756.19	31 मई, 23

तिथिः 13.06.2023
स्थानः उत्तर प्रदेश

हस्ता./-
एचडीएफसी बैंक लि.

फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने वाले तीन गिरफ्तार

सहारनपुर, 12 जून (जनसत्ता)।

फर्जी बैनामा तैयार करके जमीन हड़पने वाले तीन अभियुक्तों को थाना कुतुबशेर पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। कुतुबशेर प्रभारी सतीश कुमार के मुताबिक मृतक व्यक्ति के नाम पर एक फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर फर्जी बैनामा कराने वाले एक ग्राम प्रधान सहित तीन जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान आज इस मामले का खुलासा किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस को फर्जी बैनामा एवं मृतक प्रदुमन के नाम का फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है।

बता दें, कि प्रदुमन सिंह पुत्र भीम सिंह निवासी अलीपुरा उर्फ अहमदपुर मजरा नौगांवा थाना बेहट की एक बीघा जमीन इस्माइलपुर के जंगल में है। प्रदुमन सिंह की मृत्यु के बाद इस जमीन पर ग्राम इस्माइलपुर के प्रधान सुखबीर उर्फ पप्पू की निगाह थी। इसी जमीन को कब्जाते हुए पप्पू ने 2021 में अपने सगे साढू अभितेंद्रा सिंह एवं एक अन्य के सहयोग से एक फर्जी व्यक्ति को प्रदुम्न सिंह बनाकर खड़ा करके इस एक बीघा जमीन का फर्जी बैनामा करवा डाला। जिसको वह बेचने की फिराक में था।

सुखबीर उर्फ पप्पू एवं अभितेंद्रा सिंह, जिन्हें थाना कुतुबशेर प्रभारी सतीश कुमार ने अपनी पुलिस टीम के सब इंस्पेक्टर जीतेंद्र शर्मा, हेड कांस्टेबल अरुण कुमार व कांस्टेबल अनूप कुमार के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में ग्राम प्रधान सुखबीर सिंह उर्फ पप्पू पुत्र रतीराम निवासी ग्राम इस्माइलपुर, अभितेंद्रा सिंह पुत्र तारा चंद निवासी ग्राम कुंआखेडा थाना सरसावा एवं वीर सिंह पुत्र बलवंत सिंह निवासी गांव भोजपुर गुर्जर थाना चिलकाना शामिल है। उक्त तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस को गिरफ्तार उक्त तीनों अभियुक्तों के कब्जे से फर्जी बैनामा एवं मृतक प्रदुमन के नाम का फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है।

POONAWALLA HOUSING FINANCE
Apna Ghar, Apni Pehchan

पूनावाला हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड
(पूर्वतः मैग्मा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध)
पंजीकृत कार्यालय : 602, छठा तल, जीरो वन आईटी पार्क, एसआर. नंबर 79/1, घोरपदी, मुंढवा रोड, पुणे-411036
शाखा कार्यालय : प्रथम तल, सत्या बिजनेस पार्क, 1 नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001

ई-नीलामी बिक्री सूचना

ई-नीलामी बिक्री सूचना सरफासी ऐक्ट के तहत प्रतिभूत अचल आस्ति की बिक्री

एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदारों/सह-कर्जदारों/गारंटरों को सूचना दी जाती है कि अधोवर्णित सम्पत्तियां मैग्मा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के पक्ष में बंधक रखी गई थीं। निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से मैग्मा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड अब पूनावाला हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड ("पीएचएफएल") के रूप में पुनर्नामित हो गया है। उक्त सम्पत्तियों का कब्जा पीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफासी ऐक्ट की धारा 13(4)/14 के तहत लिया जा चुका है तथा पीएचएफएल की बकाया राशियों की वसूली, लागू ब्याज, प्रभारों तथा लागतों इत्यादि सहित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अनुसार ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाएंगी। निम्नवर्णित सम्पत्ति **"जैसी है जहां है, जो भी है वहां है तथा कोई वापसी नहीं आधार"** पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के अधीन बेची जाएगी।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया पीएचएफएल/प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः www.poonawallahousing.com में उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना की तिथि और बकाया राशि (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	सम्पत्ति का वर्णन (डी)	सुरक्षित मूल्य (ई)	ईएमडी (आरपी की 10 प्रतिशत) (एफ)	ईएमडी जमा करने की तिथि (जी)	बोली वृद्धि (एच)	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय वाद, यदि कोई (के)
ऋण सं. HL/0045/H/19/10 0024 तथा HL/0045/H/19/10 0028 आशा देवी (कर्जदार) लक्ष्य श्रीवास्तव (सह-कर्जदार) पंकज श्रीवास्तव (सह-कर्जदार)	सूचना तिथि : 15-11-2022 रू. 11,91,865.2 (रूपए ग्यारह लाख इक्यानवे हजार आठ सौ पैंसठ तथा पैसे बीस मात्र) 15-11-2022 तक बकाया, आगे वसूली तक 13.55 प्रतिशत की दर पर ब्याज के साथ तथा रू. 2,30,495.69 (रूपए दो लाख तीस हजार चार सौ पिच्यानवे तथा पैसे उनहत्तर मात्र) 15-11-2022 तक बकाया, आगे वसूली तक 14.75 प्रतिशत की दर पर ब्याज के साथ	सांकेतिक	बंधक सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्राइवेट प्लॉट नंबर 59, स्थित अराजी नंबर 329 मिन का भाग, ग्राम पिपौरी, कानपुर नगर, परिमाप 105.66 वर्ग मीटर	रू. 19,58,733/- (रूपए उन्नीस लाख अठ्ठावन हजार सात सौ तेतीस मात्र)	रू. 1,95,873.3/- (रूपए एक लाख पिच्यानवे हजार आठ सौ तिहत्तर तथा पैसे तीस मात्र)	17-07-2023 अप. 5 बजे से पहले	10,000/-	11-07-2023 (पूर्वा. 11 बजे- अप. 4 बजे)	18-07-2023 (पूर्वा. 11 बजे- अप. 2 बजे)	शून्य
ऋण सं. HL/0044/H/18/10 0016 तथा HM/0044/H/17/10 0264 माधुरी (कर्जदार) मनोज कुमार (सह-कर्जदार) फूल चंद्र (सह-कर्जदार)	सूचना तिथि : 10-02-2023 रू. 10,45,782.43 (रूपए दस लाख पैंतालीस हजार सात सौ बयासी तथा पैसे तेतालीस मात्र) 10-02-2023 तक बकाया, आगे वसूली तक 16.75 प्रतिशत की दर पर ब्याज के साथ तथा रू. 12,50,368.20 (रूपए बारह लाख पचास हजार तीन सौ अड़सठ तथा पैसे बीस मात्र) 10-02-2023 तक बकाया, आगे वसूली तक 15.25 प्रतिशत की दर पर ब्याज के साथ	सांकेतिक	बंधक सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : अराजी नंबर 418, मौजा -फैजलाबाद उर्फ कालूपुर, परगना सिकंदरा एवं तहसील फूलपुर, जिला - प्रयागराज, क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर	रू. 53,38,375/- (रूपए तिरेपन लाख अड़तीस हजार तीन सौ पचहत्तर मात्र)	रू. 5,33,837.5/- (रूपए पांच लाख तेतीस हजार आठ सौ सैंतीस तथा पैसे पचास मात्र)	17-07-2023 अप. 5 बजे से पहले	10,000/-	11-07-2023 (पूर्वा. 11 बजे- अप. 4 बजे)	18-07-2023 (पूर्वा. 11 बजे - अप. 2 बजे)	शून्य
ऋण सं. HF/0045/H/21/10 0023 इश्तियाक अहमद (कर्जदार) मोहम्मद आशिफ खान (सह-कर्जदार)	सूचना तिथि : 11-02-2023 रू. 16,86,167.12 (रूपए सोलह लाख छियासी हजार एक सौ सड़सठ तथा पैसे बारह मात्र) 11-02-2023 तक बकाया, आगे वसूली तक 15.25 प्रतिशत की दर पर ब्याज के साथ	सांकेतिक	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर 1, स्थित अराजी नंबर 212 का भाग, ग्राम टीकरा, कानपुर नगर, परिमाप 101 वर्ग गज	रू. 15,82,796.25/- (रूपए पंद्रह लाख बयासी हजार सात सौ छियानवे तथा पैसे पच्चीस मात्र)	रू. 1,58,279.62/- (रूपए एक लाख अठ्ठावन हजार दो सौ उनासी तथा पैसे बासठ मात्र)	17-07-2023 अप. 5 बजे से पहले	10,000/-	11-07-2023 (पूर्वा. 11 बजे - अप. 4 बजे)	18-07-2023 (पूर्वा. 11 बजे - अप. 2 बजे)	शून्य

क्रय और बिक्री के संबंध में विस्तृत विवरण और पूछताछ के लिए, श्री इकबाल आलम से +91 9958195453 पर सम्पर्क करें

इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को बोली जमा करने से पहले पीएचएफएल शाखा आने और स्वयं जांच संचालित करने तथा अतिरिक्त प्रभार, ऋणभार तथा तृतीय पक्ष हित अभिनिश्चित करने तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि करने की सलाह दी जाती है। सम्पत्ति के साथ संबद्ध सभी सांविधिक देयताएं जैसेकि सम्पत्ति कर, बिजली/पानी बकाया तथा अन्य बकाया, यदि कोई, सफल बोलीदाता द्वारा अभिनिश्चित और अदा किए जाएंगे।

इच्छुक बोलीदाताओं को ई-बिडिंग के लिए पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना और नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्रा. लि. पता - प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, हेल्पलाइन नंबर - 7291981124, 25, 26 सपोर्ट ई-मेल आईडी Support@bankeauctuions.com सम्पर्क व्यक्ति विनोद चौहान, ई-मेल आईडी delhi@c1india.com सम्पर्क नंबर-9813887931 से लॉगइन आईडी और पासवर्ड पर्याप्त अग्रिम में प्राप्त करना होगा, जो ई-बिडिंग के लिए अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि प्रत्याशी बोलीदाता ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण केवल उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को धरोहर राशि जमा (ईएमडी) किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी द्वारा **"पूनावाला हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड" के खाते में बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाता संख्या : 000651000460 तथा आईएफएससी कोड : ICIC0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001 में 17-07-2023 को अथवा पूर्व जमा करनी होगी** तथा अपना नाम https://www.bankeauctuions.com पर पंजीकृत करवाना होगा और यूजर आईडी तथा पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा और ई-नीलामी पर प्रशिक्षण सेवा प्रदाता से प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड, ई-मेल करनी होंगी तथा स्व-सत्यापित भौतिक प्रतियां **प्राधिकृत अधिकारी श्री शरीफ अहमद, पता : प्रथम तल, सत्या बिजनेस पार्क, 1 नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001, मोबाइल नंबर +91 8840784993, ई-मेल आईडी sharif.ahmad@poonawallahousing.com** को प्रेषित करनी होंगी।

स्थान : कानपुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश
तिथि : 13-06-2023

प्राधिकृत अधिकारी पूनावाला हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड
(पूर्वतः मैग्मा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध)

तपिश प्रयागराज में सोमवार को धूप से बचने के लिए अपने चेहरे को स्कार्फ से ढके हुए स्कूटर पर सवार लड़कियां।

अंजलि हत्याकांड के मुख्य आरोपी की कचहरी में जमकर पिटाई

मेरठ,12 जून (जनसत्ता)।

वकीलों ने अधिवक्ता अंजलि गर्ग हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश भाटी को कचहरी परिसर में सोमवार को जमकर पीटा। रविवार रात आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस सोमवार को उसे अदालत में पेशी पर लाई थी। पुलिस जब उसको अदालत में ले जा रही थी। इसी दौरान अधिवक्ताओं ने उस पर हमला बोल दिया। वकीलों द्वारा आरोपी की पिटाई के बाद भारी पुलिस फोर्स को कचहरी परिसर में भेजा गया। बामुश्किल पुलिस ने सुरेश भाटी को वकीलों के चुंगल से मुक्त कराया। पुलिस ने आरोपी को जिला कारागार भेज दिया है।

पुलिस के मुताबिक अंजलि हत्याकांड के मुख्य आरोपी को रविवार की रात फुटबाल चौक से गिरफ्तार किया गया था। सोमवार को उसे एसीजेएम-5 की अदालत में पेशी पर लाया गया था। इसी दौरान वकीलों को यह जानकारी मिलने के बाद खासी तादाद में वकील अदालत के बाहर पहुंच गए। गुस्साए वकीलों ने आरोपी को लात घूसों से जमकर पीटा। इसी के साथ आरोपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। वकीलों के गुस्से को देखते हुए पुलिस को अदालत का दरवाजा भी बंद करना पड़ा।

गौरतलब है कि सात जून को थाना ट्रांसपोर्ट नगर की न्यू मेवला कालोनी में महिला वकील अंजली गर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अंजली जब दूध लेकर लौट रही थी। तभी उसके घर के सामने दो स्कूटी सवार युवकों ने अंजली पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस हत्याकांड की साजिश टीपी नगर के रहने वाले प्रापर्टी डीलर सुरेश भाटी ने रची थी। अंजलि की हत्या में यशपाल व नीरज शर्मा भी शामिल था। इन तीनों ने मकान पर कब्जे को लेकर अंजलि को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की। अंजलि हत्या के लिए नीरज ने लिसाड़ी गांव के अनुज व बेरीपुरा के रोहित से दो लाख रुपए में सौदा तय किया था। इस मामले में पुलिस यशपाल, नीरज, अनुज व रोहित को गिरफ्तार कर चुकी है।

मेरठ एसटीएफ की मदद से बरेली में पकड़े गए दो तस्कर

बरेली, 12 जून (जनसत्ता)।

पुलिस ने तस्करों पास से दो किलो 780 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत दो करोड़ 75 लाख रुपए आंकी जा रही है।

थाना बिथरी चैनपुर और मेरठ एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से दो किलो 780 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत दो करोड़ 75 लाख रुपए आंकी जा रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक मेरठ एसटीएफ के निरीक्षक रविन्द्र कुमार को किसी मुखबिर से सूचना मिली थी कि बरेली में तस्करी के जरिए स्मैक की एक बड़ी खेप पहुंचने वाली है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने यहां आकर थाना बिथरी चैनपुर की मदद से सैदपुर खजुरिया तिराहे के पास जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने दो संदिग्ध लोगों को मोटरसाइकिल से आते देखा तो रोककर उनकी तलाशी ली थी। उनके पास से दो किलो 780 ग्राम स्मैक बरामद हो गई। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि झारखंड का एक व्यक्ति उन तक स्मैक पहुंचाकर जाता है जिसे वे यहां सप्लाई करते रहे हैं। लेकिन झारखंड के तस्कर का नाम पता आदि वे नहीं बता सके। आरोपियों ने बताया कि मोबाइल के जरिए मैसेज आने पर ही वे स्मैक लेने बताए हुए स्थान पर पहुंच जाते थे। पुलिस ने स्मैक के अलावा आरोपियों के मोबाइल और मोटरसाइकिल को भी बरामद कर उनके खिलाफ रविवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पकड़े गए तस्करों में थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के खनी नबादा गांव के रहने वाले संतराम और लालाराम शामिल हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपियों का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है। नशीले पदार्थों की तस्करी करते हुए वे पहली बार पकड़े गए हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India A Government of India Undertaking

मांग सूचना

एसएएम शाखा लखनऊः
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, द्वितीय तल, शारदा टॉवर, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश 226024
सम्पर्कः 91-9580577355, ई-मेलः Ubin0578720@unionbankofindia.bank

अनडिलिवर्ड डिमांड नोटिस के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना - 13(2) सरफेसी नोटिस

निम्नलिखित ऋणग्राहियों / जमानतदारों के विधिक उत्तराधिकारियों (गारन्टर / बंधककर्ता) को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(2) के अन्तर्गत (डिमांड नोटिस) मांग सूचना नीचे उल्लेखित तिथि को भेजे गये थे और ये नोटिस बिना सुपुर्दगी के वापस गये, ऋणग्राहियों / जमानतदारों के विधिक उत्तराधिकारियों को सलाह दी जाती है कि आप इस प्रकाशन की तिथि से निम्न वर्णित धनराशि तथा ब्याज एवं अन्य खर्चों का भुगतान 60 दिन के अन्दर करें अन्यथा बैंक सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बन्धित सम्पत्ति को अपने कब्जे में लेकर बिक्री की कार्यवाही करेगा। सरफेसी अधिनियम 13(13) के अन्तर्गत इस नोटिस की प्राप्ति पर आपको बैंक की सहमति के बिना सम्पत्तियों से किसी प्रकार का क्रय विक्रय व अन्तरण अवैध होगा। उधारकर्ता / जमानतदारों के विधिक उत्तराधिकारियों का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है। सम्पत्ति में किसी प्रकार का क्रय विक्रय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, लखनऊ की सम्बन्धित शाखाओं के भार के अधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणी एवं जमानतकर्ता का नाम	साम्यिक बंधक का विवरण	मांग सूचना जारी की तिथि एनपीए की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
शाखाः एसएएम शाखा, लखनऊ				
1.	1. ऋणीः श्री विकास तिवारी पुत्र स्व0 जगत नारायण तिवारी पताः 13/7031, ब्लॉक-सी, राजाजीपुरम, लखनऊ -226017, उत्तर प्रदेश 2. जमानतकर्ताः 2(अ). श्री हरिशंकर तिवारी पुत्र श्री मंधारी राम, पताः 4/70, सेक्टर-4, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 2(ब). श्री जय किशन गुप्ता पुत्र स्व0 श्री के एल गुप्ता, पताः एलआईजी 78, टिकैत राय कॉलोनी, ऐशबाग, लखनऊ, यूपी 3. मृतक स्व0 श्री जगत नारायण तिवारी का इस्टेट, प्रतिनिधित्व द्वाराः 3(अ). श्री विकास तिवारी पुत्र स्व0 जगत नारायण तिवारी, पताः 13/7031, ब्लॉक-सी, राजाजीपुरम, लखनऊ-226017, उत्तर प्रदेश 3(ब). श्रीमती कैलाशपति तिवारी उर्फ कैलाशा पत्नी स्व0 जगत नारायण तिवारी, पता-1: मकान सं. 13/7031, ब्लॉक-सी, राजाजीपुरम लखनऊ -226017, उत्तर प्रदेश पता-2: ग्राम महमूदपुर, पोस्ट बिझुरी, तहसील-जयसिंहपुर, जिला- सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश- 228142	श्री विकास तिवारी पुत्र स्वर्गीय जगत नारायण तिवारी के स्वामित्व में सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर एक मंजिला मकान सं. 13/7031, ब्लॉक-सी, राजाजीपुरम, वार्ड हरदीन नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 110.28 वर्ग मी0, चौहद्दीः पूर्व- 9 मीटर मी0 रोड, पश्चिम- मकान सं. 13/7028 एवं 13/7030, उत्तर- 12 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण- 9 मीटर चौड़ी सड़क	मांग सूचना जारी की तिथि 03.06.2023 एनपीए की तिथि 29.10.2019	रू. 41,43,888.90 (रूपये इक्तालिस लाख तैतालिस हजार आठ सौ अठ्ठासी और पैसा नब्बे मात्र) मांग सूचना दिनांक 03.06.2023 के अनुसार एवं उसपर ब्याज, लागत एवं शुल्क

दिनांक : 13.06.2023, स्थानः लखनऊ

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

खबर कोना

घरेलू कलह से तंग आकर युवक ने की आत्महत्या

शाहजहांपुर, 12 जून (जनसत्ता)।

बंडा थाना क्षेत्र के गांव टिकरी उदारा निवासी शिशुपाल यादव के 20 वर्षीय पुत्र सीटू यादव ने घरेलू कलह से तंग आकर तमंचे से सिर में गोली मार ली। बरेली ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई। सीटू यादव की शादी एक साल पहले लखीमपुर खीरी की सोनी के साथ हुई थी। बताते हैं कि सीटू की मां वीरवती और सोनी के बीच अनबन रहती थी। एक दिन शिशुपाल घर पर नहीं थे। इसी बीच दोपहर में सोनी और वीरवती के बीच कहासुनी हो गई। इससे क्षुब्ध होकर सीटू ने तमंचे से अपने सिर में गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर परिजन दौड़े तो सीटू लहूलुहान हालत में पड़ा था। परिजन उसे बरेली लेकर जा रहे थे। रास्ते में सीटू ने दम तोड़ दिया।

पिता की पिटाई से मासूम की मौत

चंदौली, 12 जून (जनसत्ता)।

जनपद के अलीनगर थान क्षेत्र के कठौरी गांव में बबलू नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से झगड़े के दौरान अपनी बेटी की निर्मम पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार कठौरी गांव के निवासी बबलू का सोमवार को अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ। तथा मारपीट करते हुए उक्त व्यक्ति ने अपनी तीन साल की बेटी प्रीति को भी पीटने लगा। बताया जा रहा है कि उसने अपनी बेटी को उठाकर पटक दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।

मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाश पकड़े

उरई, 12 जून (जनसत्ता)।

बीती रात गोहन थाना क्षेत्र में एसओजी व सर्विलांस व गोहन थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाशों को पकड़ लिया। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। रविवार रात को एसओजी व सर्विलांस को खबर मिली कि कुछ शातिर बदमाश गोहन थाना क्षेत्र में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिस पर एसओजी व सर्विलांस टीम ने गोहन पुलिस के साथ क्षेत्र में जांच शुरू कर दी तभी देर रात को गोहन रोड की नहर पुलिया के पास पुलिस का सामना बाइक सवार बदमाशों से हो गया।

कामगार की मौत, पुलिस ने जांच शुरू की

हापुड़, 12 जून (जनसत्ता)।

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण प्रीत विहार कार्यालय स्थित कालोनी में निर्माणाधीन भवन की सीढ़ियों पर एक कामगार का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुबह अन्य मजदूरों ने रात्रि में रहने वाले 40 वर्षीय अबरीश पुत्र हसन तुल्ली के शव को देखकर मकान मालिक को सूचना दी। जनपद अमरोहा निवासी की मौत की सूचना पर आई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज जांच शुरू कर दी है।

नकली सोना गिरवी रखकर बैंक को लगाया 61 लाख का चूना

चंदौली,12 जून (जनसत्ता)।

जनपद के सैयदराजा कस्बा में स्थित आई सी आई सी आई बैंक से विगत कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने सोना गिरवी रखकर उस पर 61 लाख का कर्ज लिए लेकिन अब जांच में वह सोना नकली पाया गया है। जिसके संबंध में बैंक के शाखा प्रबंधक ने सैयदराजा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है।

आईसीआईसीआई बैंक की सैयदराजा शाखा से जेवरिया भुवाल निवासी ऋषभ, बिहार के भभुआ जिले के सरेवा खुरशन निवासी हैदर इदरिशी और किशन सिंह ने सोना गिरवी रख कर 61.75 लाख 444 रुपए का कर्ज लिया था। बैंक के अधिकृत सराफ शिवम कुमार वर्मा ने सोने की गुणवत्ता की जांच की थी। और उसे शुद्ध सोना के रूप में प्रमाणित किया था। लेकिन बैंक के आडिट विभाग के कमल किशोर गुप्ता ने 11 अक्तूबर को जांच की तो सोना नकली पाया गया।